# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 390/2025

श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री नागरमल शर्मा, निवासी वार्ड नं0 15, पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333501

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी।

---

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

---

**आदेश**

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 390/2025 पर दिनांक 16.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4283—84 दिनांक 16.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी ने पत्रांक रीडर/स20अ0अधि0( 29 )/2025/495 दिनांक 25.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदक का आवेदन पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/190 दिनांक 17.06.2025 दिनांक 04.06.2025 से अन्तरित होकर दिनांक 16.06.2025 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसके संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू0अ0अधि0( 29 )/2024/238—239 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे लेख है कि आवेदन पत्र के सलंग्न प्रतिलिपि अस्पष्ट एवं अपठनीय है जिस कारण आवेदन पत्र के सलंग्न प्रतिलिपि से संबंधित सूचना/दस्तावेजात् उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जबाब प्रेषित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी ने पत्रांक रीडर/स20अ0अधि0( 29 )/2025/495 दिनांक 25.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदक का आवेदन पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/190 दिनांक 17.06.2025 दिनांक 04.06.2025 से अन्तरित होकर दिनांक 16.06.2025 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसके संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू0अ0अधि0( 29 )/2024/238—239 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे लेख है कि आवेदन पत्र के सलंग्न प्रतिलिपि अस्पष्ट एवं अपठनीय है जिस कारण आवेदन पत्र के सलंग्न प्रतिलिपि से संबंधित सूचना/दस्तावेजात् उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जबाब प्रेषित कर दिया गया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का आवेदन पत्र अस्पष्ट/अपठनीय है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जिसके संबंध मे प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं